न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 139 / 2020

प्रार्थी :–

1. तेजाराम वल्द आदाराम
   जाति पांथी निवासी नया नगर तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. जीवाराम वल्द आदाराम
2. सांवलाराम वल्द आदाराम
   कौम पांथी साकिन नया नगर, तहसील गुडामालानी
3. गोमतीदेवी पत्नी मदनलाल कौम भील साकिन नया नगर, तहसील गुडामालानी
4. तहसीलदार गुडामालानी जिला बाड़मेर

<u>राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित –

1. श्री चिमनसिंह चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी
2. अप्रार्थीगण – अनुपस्थित

–: आदेश :–

दिनांक – 05/01/22

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गय। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी एव पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2072–2075 सरहद मौजा नगर तहसील गुडामालानी के खेत खसरा 830 / 872 रकबा रकबा 19.18 बीघा का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थी का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में [illegible] भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में [illegible] आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व [illegible] खातेदार दर्ज होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.16 17:14:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

क्रमांक: वाद/2022/
प्रार्थीगण

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा नगर के खेत खसरा संख्या 830/872 रकबा 19–18 बीघा भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 500/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना RGT से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 03/01/22 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.16 17:14:10 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

क्रमांकः वाद / 2022 / 24 दिनांक : 10।1।22

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
तेजाराम		जीवाराम वगैरा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी

राजस्व आवेदन सं. 139/20 निर्णय दिनांक :– 03/01/22

–:: आदेश ::–

उपरोक्त प्रकरण में ग्राम नगर के खेत खसरा नम्बर 830/872 रकबा 19-18 बीघा खसरा नम्बर — रकबा — खसरा नम्बर — रकबा — खसरा नम्बर — रकबा — एवं खसरा नम्बर — रकबा — की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार गुडामालानी को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फींश रूपये 500/- प्रार्थी अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
गुडामालानी
दिनांक : 10।1।22

क्रमांकः वाद / 2022 / 25-27
प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार गुडामालानी
2. थानाधिकारी RGT
3. हल्का पटवारी नगर को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थी तेजाराम पुत्र कृपाराम
5. विप्रार्थी जीवाराम वगैरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.16 17:14:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
गुडामालानी